

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com -साईट- jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक:-

दिनांक:-

:: ई-बिड सूचना संख्या: जोन-पूल 10/2020-21 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु (वार्षिक दर संविदा के तहत) ऑन लाईन बिड आमंत्रित की जाती है, जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत धरोहर राशि, बिड शुल्क निम्नानुसार Online SSO ID के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है:-

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

| क्र.सं | विवरण | बिड की क्र. सं. | दिनांक व समय |
|--------|---|-----------------|----------------------------------|
| 1 | ऑन लाईन बिड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय | 1 | दिनांक 27.08.2020 AM 9.30 बजे से |
| 2 | ऑन लाईन बिड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय | 1 | दिनांक 08.09.2020 PM 6.00 बजे तक |
| 3 | ऑन लाईन बिड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय | 1 | दिनांक 27.08.2020 AM 9.30 बजे से |
| 4 | ऑन लाईन बिड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय | 1 | दिनांक 08.09.2020 PM 6.00 बजे तक |
| 5 | बिड शुल्क, धरोहर राशि ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय | 1 | दिनांक 08.09.2020 PM 6.00 बजे तक |
| 6 | ऑनलाईन बिड खोलने की दिनांक व समय | 1 | दिनांक 09.09.2020 PM 3.00 बजे |

बिड का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में) | धरोहर राशि(रु.) | बिड शुल्क | कार्य पूर्ण करने की अवधि | जोन कार्यालय |
|----------|---|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1. | प्राधिकरण में संविदा पर टैक्टर मय ट्रौली, मजदुर मय औजार, जे.सी.बी, टाटा 407 की आपूर्ति करने बाबत। | 20.00 | 20000/- | 500 | 12 माह | पूल |

बिड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है:-

- बिड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बिड में भाग लेने वाले संवेदकों को बिड को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- बिड की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- बिड खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष बिड खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- संवेदक को आवश्यकतानुसार टैक्टर मय ट्रौली, मजदुर मय औजार, जे.सी.बी, टाटा 407 उपलब्ध करवाने होंगे।
- बिडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार बिड खोले जाने के समय से पूर्व जरिये ऑनलाईन SSO ID ऑनलाईन बिड फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है:-

| क्र. सं. | शुल्क वितरण | शुल्क | भुगतान का प्रकार | देय |
|----------|----------------------------|---|--|---|
| 1 | बिड शुल्क | उपरोक्तानुसार | ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर | सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 2 | धरोहर राशि | अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत | URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY FOR E-TENDERING के माध्यम से | सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 3 | ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क | 50 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/- | | MD RISL, JAIPUR |

- प्रदत्त करें बिड खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक बिड स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि बिडर्स उक्त अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
- यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अजीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिवन्ध रहेगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
- बिडर्स को बिड भरते समय साथ में बिड शुल्क, धरोहर राशि, ई टेंडरिंग शुल्क, Enlistment certificate, GST Registration की प्रति तथा अन्य दस्तावेज जो बिड प्रपत्र में चाहे गये एस Scaद कर लगाना अनिवार्य है।
- बिड विभाग के आदेश संख्या एफ 1(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि ऑनलाईन SSO ID के माध्यम रूप में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्ट, आर. आई.एस.एल.के पक्ष में व जयपुर में ऑनलाईन भुगतान योग्य होना चाधिये।
- वैगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा छूट से सृष्टि किया जायेगा।

बिड शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 50 लाख से कम अनुमानित लागत | रुपये 500 |
| 50 लाख से 160 लाख तक अनुमानित लागत | रुपये 1000 |
| 160 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत | रुपये 2000 |
| 500 लाख से अधिक अनुमानित लागत | रुपये 5000 |
- बिडर्स को जी.एस.टी प्रमाण पत्र बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - बिडर्स को उपरोक्त दशमि गये टैक्टर मय ट्रौली, जे.सी.बी, टाटा 407 आदि की स्वयं के नाम या किराये पर ली हुई होने का अनुबंध की प्रति आपसी की बिड के साथ अपलोड करनी होगी।

4. ई-टेंडरिंग के लिए बिड दाता हेतु निर्देश:-

- इन बिडों में दिलचस्पी लेने वाले बिड दाता बिड प्रपत्रों का इंटरनेटसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/ डाउनलोड कर सकते हैं।
 - बिड में भाग लेने वाले बिडर्स को इंटरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बिड में साईन करने हेतु काम आयेगा। बिड दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - बिड दाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
 - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
- बिडर्स राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमन्त्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक वे उस बिन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों के विरुद्ध नहीं हों।
 - बिड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट ए से डी बिन्दु के भाग है जिनकी पूर्ति मय हस्ताक्षर अनिवार्य है।
 - अन्य शर्तें बिड प्रपत्र में उल्लेखित अनुसार लागू होगी।

अधिशायी अभियंता (जोन-मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक : 664-677

दिनांक : 24-8-2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निजी सचिव,आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सहायक लेखाधिकारी,प्रथम/द्वितीय/तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
- अधिशायी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/आर.ओ.बी/पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
- कैशियर /नोटिस बोर्ड।
- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड का <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurida.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे।
- ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर एसोसियेशन /ठेकेदार संघ सिविल जे.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी ठेकेदार संघ/.....।

अधिशायी अभियंता (जोन- मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्य का नाम :- प्राधिकरण में संविदा पर ट्रैक्टर मय ट्रौली, मजदुर मय औजार, जे.सी.बी, टाटा 407 की आपूर्ति करने बाबत।


:: शोडयूल-“एच” ::

| क्र.सं. | कार्य का नाम | ईकाई | दर (समस्त करों एवं जी.एस.टी सहित दी जानी अनिवार्य होगी) | |
|---------|--|----------------|--|------|
| | | | अंक | शब्द |
| 1 | जे.सी.बी मशीन (मुख्यालय से कार्य स्थल एवं वापसी तक परिवहन) | प्रति किलोमीटर | | |
| 2 | जे.सी.बी (मशीन से अतिक्रमण हटाने/खुदाई इत्यादी कार्य) | प्रति घण्टा | | |
| 3 | ट्रैक्टर व ट्रैक्टर ट्रौली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट | प्रतिदिन | | |
| 4 | टाटा 407 | प्रतिदिन | | |
| 5 | मजदुर मय आवश्यक औजार | प्रतिदिन | | |

शर्तें/टिप्पणी :- बिडर्स को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बिड भरते/अपलोड करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

- संवेदक को प्राधिकरण के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार कार्य करना होगा। बिड में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त बिडर्स द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में या किसी भी बिड अथवा उसके किसी भाग या सम्पूर्ण बिड को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का होगा।
- बिड की अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष होगी एवं आवश्यकतानुसार आर.टी.पी.पी नियम 2013 के प्रावधान अनुसार समयावधि बढ़ाई जा सकती हैं।
- संवेदक को प्राधिकरण में आवश्यकतानुसार निर्देश देने पर तुरन्त आवश्यकतानुसार जे.सी.बी/ट्रैक्टर/टाटा 407/लेबर उपलब्ध करवाने होंगे।
- वाहन संचालन का समस्त खर्चा (मरम्मत, डीजल, ऑयल आदि) संवेदक को वहन करना होगा।
- वाहन ड्राइवर (जे.सी.बी/ट्रैक्टर ट्रौली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट/टाटा 407 संचालित हेतु) परिवहन विभाग द्वारा वैध लाईसेन्सधारी होना चाहियें।
- राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर देय होने पर कर की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। वाहन के समस्त वैध कागजात जिसमें पंजीयन, इश्योरेन्स, फिटनेश जो भी वाहन संचालन में आवश्यक हो प्रस्तुत करने होंगे।
- जे.सी.बी/ट्रैक्टर ट्रौली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट/टाटा 407 खराब होने की स्थिति में या कार्य की आवश्यकतानुसार मांग होने पर संवेदक को तुरन्त दुसरी जे.सी.बी/ट्रैक्टर ट्रौली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट/टाटा 407 उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध नहीं कराने पर बाजार से वाहन मंगवा लिया जायेगा, उसका जो भी किराया होगा, उससे दुगुनी दर से कटौती संवेदक के बिलों/जमा सुरक्षा राशि में से की जायेगी।
- संवेदक को विपत्र प्रभारी अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
- बिडर्स को पेन कार्ड एवं सर्विस टेक्स नं. की प्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी
- बिड के साथ जे.सी.बी, ट्रैक्टर व टाटा 407 की आरसी की प्रति अपलोड करनी होगी

- राशि का सम्पाहरण-बयाना राशि पर निम्नलिखित मामलों में सम्पूहृत किया जायेगा।
- जब बिडर्स प्रदायनी हेतु आदेश देने के पश्चात् प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है :-
- (ब) जब बिडर्स विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, निष्पादित नहीं करता है।
- (स) सफल बिडर्स को आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा स्वीकार की गई निविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवानी होगी, इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज आदि प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा,
- (द) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-
रोकड/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेकर्स, जो सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय हो।
13. प्रतिभूति निक्षेप का सम्पहरण प्रतिभूति राशि का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्न मामले, में सम्पहरण किया जावेगा।
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
- (ख) जब बिडर्स वाहनों का सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक तरीके से करने में असफल रहा हो।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेपकों सम्पूहृत करने के मामले में युक्ति-युक्त समयपूर्ण नोटिस दिया जायेगा तथा प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14. समस्त विधिक कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
15. वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/फर्म की रहेगी। पुलिस न्यायालय में विवाद की स्थिति में मुकदमें से संबंधित समस्त व्यय का वहन फर्म मालिक/वाहन चालक द्वारा किया जायेगा।
16. वाहन चालक को कार्य के दौरान मादक द्रव्यों का सेवन धुम्रपान वर्जित रहेगा।
17. प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान सम्पूर्ण निविदा के संतोषप्रद पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा।
18. किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग या सम्पूर्ण निविदा या विवाद की स्थिति में स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का होगा।
19. बिल से नियमानुसार राज्य सरकार व केन्द्र सरकार तथा स्थानीय निकाय द्वारा आदेशित करों की कटौती की जायेगी।
20. संवेदक द्वारा घोषणा करनी होगी कि मैंने उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली हैं एवं सहमत हूँ।
21. बिडर्स एवं वाहन चालक अपना मोबाईल फोन निरन्तर चालू रखेंगे एवं स्विच ऑफ नहीं करेंगे ताकि आवश्यक परिस्थितियों में आप से सम्पर्क स्थापित किया जा सकें एवं पता (जोधपुर निवास एवं अन्य टेलीफोन से सम्पर्क रखना होगा।
22. कार्य के दौरान वाहन चालकों का वैध लाईसेन्स, आरसी, बीमा की मूल प्रति वाहन चालक के पास होनी आवश्यक है एवं राज्य सरकार के समस्त प्रकार के करों को वहन निविदादाता को करना होगा।
23. वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्यवहार के लिए संवेदक जिम्मेदार रहेगा।


24.8.2020
प्रभारी अधिकारी (पूल)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(संवेदक के हस्ताक्षर)

नाम :

स्थायी पता :

मोबाईल नं. :

पेन नं. :

सर्विस टेक्स नं.

मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है। मैं एवं मेरी फर्म उपरोक्त सभी शर्तों का पालना करने को सहमत हूँ।

(हस्ताक्षर संवेदक)